सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 155 राँची, शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

14 मार्च, 2024

संख्या-01/भू.स्था.(राज.मु.)-08/2014 – 517--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्‌वारा झारखण्ड राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन अधिसूचित **झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित)** में संशोधन करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ:-**

¼i½ यह नियमावली **"झारखण्ड भूतात्विक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024"** कहलायेगी।

¼ii½ इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

¼iii½ यह संशोधन अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के भाग- II के नियम- 3 (1) (क) के क्रम॰ सं॰ V में निम्न प्रावधान हैः-

क्र.सं.	**पद**	**छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान**	
		Pay Band & Pay Scale	**Grade Pay**
V	भूतत्ववेत्ता	PB-II 9300-34800	4800

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः

क्र.सं.	**पद**	**छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान**	
		Pay Band & Pay Scale	**Grade Pay**
V	भूतत्ववेत्ता	PB-II 9300-34800	5400

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।